

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: एफ/प्रशा/स्था/2021/4778


दिनांक 10/12/2021

// अधिसूचना //

राजभवन भोपाल से प्राप्त आदेश क्रमांक एफ-1-3/21/रा0स0/यू0ए0-1/1268 दिनांक 09/12/2021 के द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री मंगूभाई पटेल, कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा प्रो० अविनाश तिवारी, स्कूल ऑफ स्टडीज इन बॉटनी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 04 वर्ष की कालावधि के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का कुलपति नियुक्त किया गया है।


महामहिम कुलाधिपति जी के उक्त आदेश के पालन में प्रो० अविनाश तिवारी द्वारा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कुलपति पद का कार्यभार दिनांक 10/12/2021 (पूर्वान्ह) से ग्रहण कर लिया गया है।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रो० अविनाश तिवारी, स्कूल ऑफ स्टडीज इन बॉटनी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. राज्यपाल के अवर सचिव, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल।
4. अवर सचिव, म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल।
6. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
8. सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली।
9. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
10. कुलपति, भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालय।
11. कुलसचिव, भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालय।
12. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
13. विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निर्देशक, समस्त अध्ययनशालाएँ, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
14. समस्त अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
15. प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
16. जन सम्पर्क अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
17. संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, मोतीमहल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
18. समस्त संपादक, दैनिक समाचार पत्र, ग्वालियर।
19. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
20. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
21. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
(सहा०/उप०-कुलसचिव प्रशासन)